

अधीन, अध्यादेश के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त अध्यादेश को वर्ष 2022 के अध्यादेश संख्यांक 3 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज,
प्रधान सचिव (विधि)।

2022 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2022

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

भारत सरकार ने माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की कतिपय धाराओं में संशोधन किया है। अब हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर, 2017 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करना अनिवार्य हो गया है।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2022 है।

(2) इस अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 2 से धारा 15 के उपबन्ध, उस तारीख, को प्रवृत्त होंगे जो सरकार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 16 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है), की धारा 16 में, -

(क) उपधारा (2) में, -

(i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(खक) धारा 38 के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त आपूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे निर्बंधित नहीं किए गए हों ;";

(ii) खंड (ग) में, "या धारा 43क" शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा; और

(ख) उपधारा (4) में, "सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की देय तारीख" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "30, नवंबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

3. धारा 29 का संशोधन.—मूल अधिनियम, 2017 की धारा 29 की उपधारा (2) में,—

- (क) खंड (ख) में, “तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी” शब्दों के स्थान पर, “उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से तीन मास से परे किसी वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी” शब्द रखे जाएंगे; और
- (ख) खंड (ग) में, “लगातार छह मास की अवधि तक” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी लगातार कर अवधि, जो विहित की जाए, के लिए” शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 34 का संशोधन.—मूल अधिनियम, 2017 की धारा 34 की उपधारा (2) में, “सितंबर मास” शब्दों के स्थान पर, “30 नवंबर” अंक और शब्द रखे जाएंगे।**5. धारा 37 का संशोधन.—**मूल अधिनियम, 2017 की धारा 37 में,—

(क) उपधारा (1) में, —

- (i) “इलेक्ट्रॉनिक रूप में” शब्दों के पश्चात्, “ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन और” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) “उक्त प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को ऐसी समय अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे” शब्दों और चिन्हों के स्थान पर, “उक्त प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन, ऐसी समय अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे;
- (iii) प्रथम परंतुक का लोप किया जाएगा; और
- (iv) द्वितीय परंतुक में, “परंतु यह और कि” शब्दों के स्थान पर, “परंतु” शब्द रखा जाएगा;
- (ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा;
- (ग) उपधारा (3) में, —
- (i) “और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बिना मिलान रह गए हैं”, शब्दों, अंकों और चिन्हों का लोप किया जाएगा;
- (ii) प्रथम परंतुक में, “सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के” देते हुए शब्दों और अंकों के स्थान पर, “तीस नवम्बर” अंक और शब्द रखे जाएंगे; और
- (घ) उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन जावक प्रदाय के ब्यौरे किसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसके द्वारा किन्हीं पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक प्रदाय के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं।”।

6. धारा 38 का प्रतिस्थापन.— मूल अधिनियम, 2017 की धारा 38 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“38. आवक प्रदायों और इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की संसूचना.—(1) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदायों तथा ऐसे अन्य प्रदायों, जो विहित किए जाएं, के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला स्वतः जनित विवरण ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समयावधि के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विहित किए जाएं, ऐसे प्रदायों के प्राप्तकर्ताओं को इलैक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वतः जनित विवरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:—

- (क) आवक प्रदायों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो सके, और
- (ख) प्रदायों के ब्यौरे, जिनके संबंध में ऐसे प्रत्यय का लाभ प्राप्तकर्ता द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन उक्त प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने के कारण, चाहे पूर्ण रूप से या भाग रूप से, निम्नलिखित द्वारा नहीं उठाया जा सकता,—
 - (i) रजिस्ट्रीकरण लेने की ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा; या
 - (ii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, निरंतर रहा है; या
 - (iii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा संदेय आउटपुट कर ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उक्त उपधारा के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदायों के विवरण के अनुसार, ऐसी सीमा द्वारा, जो विहित की जाए, उक्त अवधि के दौरान उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर से अधिक है; या
 - (iv) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उस रकम के इनपुट कर के प्रत्यय का लाभ लिया है, जो उस प्रत्यय से खंड (क) के अनुसार ऐसी सीमा तक अधिक है, जो विहित की जाए; या
 - (v) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विहित किए जाएं, धारा 49 की उपधारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपने कर दायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है; या
 - (vi) ऐसे व्यक्तियों के अन्य वर्ग द्वारा, जो विहित किए जाएं।”।

7. धारा 39 का संशोधन.—मूल अधिनियम, 2017 की धारा 39 में, —

(क) उपधारा (5) में, “बीस” शब्द के स्थान पर, “तेरह” शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (7) में, प्रथम परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर रहा है, सरकार को ऐसे प्रारूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए,—

- (क) माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक प्रदायों को गणना में लेते हुए लाभ लिए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और मास के दौरान ऐसी अन्य विशिष्टियों के समतुल्य कर की रकम; या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट रकम के स्थान पर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधधीन, जो विहित किए जाएं, अवधारित रकम का संदाय करेगा।”;

(ग) उपधारा (9) में,—

(i) “धारा 37 और धारा 38 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि” शब्दों, अंको और चिन्ह के स्थान पर, “जहां” शब्द रखा जाएगा;

(ii) परंतुक में, “सितंबर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए” शब्दों के स्थान पर, “30 नवंबर” अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (10) में, “नहीं दी गई है।” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“विवरणी या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं:

परंतु सरकार, परिषद की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधधीन, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हों या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हों।”।

8. धारा 41 का प्रतिस्थापन.—मूल अधिनियम, 2017 की धारा 41 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“41. इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग.—(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधधीन, जो विहित किए जाएं, अपनी विवरणी में स्व:निर्धारित के रूप में पात्र इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा और ऐसी रकम उसके इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा की जाएगी।

(2) माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायों की बाबत उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय, उस पर संदेय कर, प्रदायकर्ता द्वारा संदत्त नहीं किया गया है, वह उस व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लागू ब्याज के साथ आरक्षित रहेगा:

परंतु जहां ऐसा प्रदायकर्ता पूर्वोक्त प्रदाय की बाबत संदेय कर का भुगतान करता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा यथा पूर्वोक्त आरक्षित जमा की रकम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पुनः प्राप्त कर सकेगा।”।

9. धारा 42, 43 और 43क का लोप.—मूल अधिनियम, 2017 की धारा 42, 43 और 43क का लोप किया जाएगा।

10. धारा 47 का संशोधन.—मूल अधिनियम, 2017 की धारा 47 की उपधारा (1) में,—

(क) “या अंतर्गामी (आवक)” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) “, या धारा 38” चिन्ह, शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा;

(ग) "धारा 39 या धारा 45" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 52" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

11. धारा 48 का संशोधन.—मूल अधिनियम, 2017 की धारा 48 की उपधारा (2) में, "धारा 38 के अधीन अंतर्गामी (आवक) प्रदायों के ब्यौरे" शब्दों, अंकों और चिन्ह का लोप किया जाएगा।

12. धारा 49 का संशोधन.—मूल अधिनियम, 2017 की धारा 49 में,—

(क) उपधारा (2) में, "या धारा 43—क" शब्दों, अंकों, चिन्ह और अक्षर का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (4) में, "ऐसी शर्तों" शब्दों के पश्चात् "और निर्बंधनों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उपधारा (11) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(12) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन, जावक कर दायित्व के ऐसे अधिकतम भाग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते के माध्यम से चुकाया जा सकेगा।"।

13. धारा 50 का संशोधन.—मूल अधिनियम, 2017 की धारा 50 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और 1 जुलाई, 2017 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत उपभोग और उपयोग किया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे गलत उपभोग और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय पर, सरकार द्वारा, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा और ब्याज की गणना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी।"।

14. धारा 52 का संशोधन.—मूल अधिनियम, 2017 की धारा 52 की उपधारा (6) के परंतुक में, "सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सम्यक तारीख" शब्दों के स्थान पर, "30 नवंबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

15. धारा 54 का संशोधन.—मूल अधिनियम, 2017 की धारा 54 में,—

(क) उपधारा (1) के परंतुक में, "धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "ऐसे प्रतिदाय का ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, "छह मास" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (10) में, "उपधारा (3) के अधीन" शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा;

(घ) स्पष्टीकरण के खंड (2) के, उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(खक) विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को शून्य दर पर माल या सेवाओं अथवा दोनों के प्रदाय की दशा में, जहां, यथास्थिति, उन्हें के प्रदाय या के प्रदाय में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं की बाबत संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, ऐसे प्रदायों की बाबत धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख;"।

16. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 146 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन.—(1) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 20 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 146 के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना संख्या ई0 एक्स0 एन0—(एफ). (10)—5/2018 तारीख 30 जनवरी, 2018 को संशोधित माना जाएगा और उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, अनुसूची-4 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति में, भूतलक्षी प्रभाव से किए गए समझे जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी मानो कि राज्य सरकार को, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 20 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 146 के अधीन सभी तात्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति थी।

17. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) और (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन.—(1) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (1) और (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना संख्या ई0 एक्स0 एन0—(एफ). (10)—14/2017—लूज, तारीख 30 जून, 2017 को संशोधित माना जाएगा और उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, अनुसूची-4 के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति से भूतलक्षी प्रभाव से किए गए समझे जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी, मानो राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 50 की उपधारा (1) और (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन सभी तात्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति थी।

18. कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी रूप से छूट.—(1) राज्य सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी अधिसूचना संख्या ई0 एक्स0 एन0—(एफ). (10)—14/2017—लूज, तारीख 30 जून, 2017 और राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित, में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मत्स्य आहार (शीर्ष 2301 के अधीन आने वाला) के, सिवाय मत्स्य तेल के, उत्पादन के दौरान सृजित अनआशयित अपशिष्ट की प्रदाय के संबंध में, 1 जुलाई, 2017 से प्रारंभ होकर, 30 सितंबर, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, कोई राज्य कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा।

(2) ऐसे सभी कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किन्तु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होती।

19. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से प्रभाव.—(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में उसी दिन प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या ई0 एक्स0 एन0—(एफ). (10)—20/2019, तारीख 03 अक्टूबर, 2019, परिषद् की सिफारिशों पर, जो हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई थी, सदैव और समस्त प्रयोजनों के लिए 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

(2) ऐसे सभी राज्य कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किन्तु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना, सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होती।

अनुसूची-4

[धारा 16 (1) देखें]

अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन	संशोधन की प्रभावी तारीख
1	2	3
अधिसूचना संख्या ई0 एक्स0 एन0-(एफ).(10)-5/2018 तारीख 30 जनवरी, 2018, [हिमाचल प्रदेश राजपत्र (ई-राजपत्र) के पृष्ठ संख्या 10236 पर प्रकाशित]	उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में, "विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा परिनिर्धारण" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- "विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा परिनिर्धारण और जैसे अधिसूचना सं0 ई0 एक्स0-एन0-(एफ).(10)-25/2019, तारीख 2 जनवरी, 2020 में उपबंधित के सिवाय, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन उपबंधित सभी कृत्य।"	22 जून, 2017

अनुसूची-5

[धारा 17 (1) देखें]

अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन	संशोधन की प्रभावी तारीख
1	2	3
अधिसूचना संख्या ई0 एक्स0 एन0-(एफ).(10)-14/2017-लूज तारीख 30 जनवरी, 2018 [हिमाचल प्रदेश राजपत्र (ई-राजपत्र) के पृष्ठ संख्या 3244 से 3245 पर प्रकाशित]	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं0 2 के सामने, स्तम्भ (3) में, "24" अंकों के स्थान पर, "18" अंक रखे जाएंगे।	1 जुलाई, 2017

(राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर),
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।(राजीव भारद्वाज),
प्रधान सचिव (विधि)।शिमला:
तारीख....., 2022

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Ordinance No. 3 of 2022.**THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2022**

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-third year of the Republic of India.

AN ORDINANCE further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of 2017).

WHEREAS, on the recommendations of the Goods and Services Tax Council, the Government of India has carried out amendments in certain sections of Central Goods and Services Tax Act, 2017. It has now become imperative to amend certain provisions under the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 also;

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Amendment Ordinance, 2022.

(2) Save as otherwise provided in this Ordinance, sections 2 to 15 shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 16.—In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the “principale Act”), in section 16, —

(a) in sub-section (2),—

(i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

“(ba) the details of input tax credit in respect of the said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted;” and

(ii) in clause (c), the words, figures and letter “or section 43A” shall be omitted; and

(b) in sub-section (4), for the words and figures “due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September”, the words “thirtieth day of November” shall be substituted.

3. Amendment of section 29.—In section 29 of the principale Act, in sub-section (2), —

(a) in clause (b), for the words “returns for three consecutive tax periods”, the words “the return for a financial year beyond three months from the due date of furnishing the said return” shall be substituted; and

(b) in clause (c), for the words “a continuous period of six months”, the words “such continuous tax period as may be prescribed” shall be substituted.

4. Amendment of section 34.—In section 34 of the principale Act, in sub-section (2), for the word “September”, the words “the thirtieth day of November” shall be substituted.

5. Amendment of section 37.—In section 37 of the principale Act,—

- (a) in sub-section (1), —
- (i) after the words and sign “shall furnish, electronically,”, the words “subject to such conditions and restrictions and” shall be inserted;
- (ii) for the words “shall be communicated to the recipient of the said supplies within such time and in such manner as may be prescribed”, the words and sign “shall, subject to such conditions and restrictions, within such time and in such manner as may be prescribed, be communicated to the recipient of the said supplies” shall be substituted;
- (iii) the first proviso shall be omitted; and
- (iv) in the second proviso, for the words “Provided further that”, the words “Provided that” shall be substituted;
- (b) sub-section (2) shall be omitted;
- (c) in sub-section (3),—
- (i) the words and figures “and which have remained unmatched under section 42 or section 43” shall be omitted;
- (ii) in the first proviso, for the words and figures “furnishing of the return under section 39 for the month of September”, the words “the thirtieth day of November” shall be substituted; and
- (d) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—
- “(4) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period, if the details of outward supplies for any of the previous tax periods has not been furnished by him:
- Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies under sub-section (1), even if he has not furnished the details of outward supplies for one or more previous tax periods.”.
- 6. Substitution of section 38.**—For section 38 of the principale Act, the following section shall be substituted, namely:—
- “38. **Communication of details of inward supplies and input tax credit.**—(1) The details of outward supplies furnished by the registered persons under sub-section (1) of section 37 and of such other supplies as may be prescribed, and an auto-generated statement containing the details of input tax credit shall be made available electronically to the recipients of such supplies in such form and manner, within such time, and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.
- (2) The auto-generated statement under sub-section (1) shall consist of—
- (a) details of inward supplies in respect of which credit of input tax may be available to the recipient; and

- (b) details of supplies in respect of which such credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient, on account of the details of the said supplies being furnished under sub-section (1) of section 37,—
- (i) by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed; or
 - (ii) by any registered person, who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for such period as may be prescribed; or
 - (iii) by any registered person, the output tax payable by whom in accordance with the statement of outward supplies furnished by him under the said sub-section during such period, as may be prescribed, exceeds the output tax paid by him during the said period by such limit as may be prescribed; or
 - (iv) by any registered person who, during such period as may be prescribed, has availed credit of input tax of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with clause (a), by such limit as may be prescribed; or
 - (v) by any registered person, who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provisions of sub-section (12) of section 49 subject to such conditions and restrictions as may be prescribed; or
 - (vi) by such other class of persons as may be prescribed.”.

7. Amendment of section 39.—In section 39 of the principale Act,—

- (a) in sub-section (5), for the word “twenty”, the word “thirteen” shall be substituted;
- (b) in sub-section (7), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely: —

“Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed,—

- (a) an amount equal to the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month; or
- (b) in lieu of the amount referred to in clause (a), an amount determined in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.”;
- (c) in sub-section (9), —
 - (i) for the words and figures “Subject to the provisions of sections 37 and 38, if”, the word “Where” shall be substituted;
 - (ii) in the proviso, for the words “the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter”, the words “the thirtieth day of November” shall be substituted;

- (d) in sub-section (10), for the words “has not been furnished by him”, the following shall be substituted, namely:—

“or the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return, even if he has not furnished the returns for one or more previous tax periods or has not furnished the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period.”.

8. Substitution of section 41.—For section 41 of the principale Act, the following section shall be substituted, namely:—

“41. **Availment of input tax credit.**—(1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to avail the credit of eligible input tax, as self-assessed, in his return and such amount shall be credited to his electronic credit ledger.

(2) The credit of input tax availed by a registered person under sub-section (1) in respect of such supplies of goods or services or both, the tax payable whereon has not been paid by the supplier, shall be reversed along with applicable interest, by the said person in such manner as may be prescribed:

Provided that where the said supplier makes payment of the tax payable in respect of the aforesaid supplies, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed.”.

9. Omission of sections 42, 43 and 43A.—Sections 42, 43 and 43A of the principale Act shall be omitted.

10. Amendment of section 47.—In section 47 of the principale Act, in sub-section (1), —

- (a) the words “or inward” shall be omitted;
- (b) the words and figures “or section 38” shall be omitted;
- (c) after the words and figures “section 39 or section 45”, the words and figures “or section 52” shall be inserted.

11. Amendment of section 48.—In section 48 of the principale Act, in sub-section (2), the sign, words and figures “, the details of inward supplies under section 38” shall be omitted.

12. Amendment of section 49.—In section 49 of the principale Act,—

- (a) in sub-section (2), the words, figures and letter “or section 43A” shall be omitted;
- (b) in sub-section (4), after the words “subject to such conditions”, the words “and restrictions” shall be inserted;
- (c) after sub-section (11), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(12) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, subject to such conditions and restrictions, specify such maximum proportion of output tax liability under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person or a class of registered persons, as may be prescribed.”.

13. Amendment of section 50.—In section 50 of the principale Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

“(3) Where the input tax credit has been wrongly availed and utilised, the registered person shall pay interest on such input tax credit wrongly availed and utilised, at such rate not exceeding twenty-four per cent as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, and the interest shall be calculated, in such manner as may be prescribed.”.

14. Amendment of section 52.—In section 52 of the principale Act, in sub-section (6), in the proviso, for the words “due date for furnishing of statement for the month of September”, the words “thirtieth day of November” shall be substituted.

15. Amendment of section 54.—In section 54 of the principle Act, —

- (a) in sub-section (1), in the proviso, for the words and figures “the return furnished under section 39 in such”, the words “such form and” shall be substituted;
- (b) in sub-section (2), for the words “six months”, the words “two years” shall be substituted;
- (c) in sub-section (10), the words, brackets and figure “under sub-section (3)” shall be omitted;
- (d) in the Explanation, in clause (2), after sub-clause (b), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

“(ba) in case of zero-rated supply of goods or services or both to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit where a refund of tax paid is available in respect of such supplies themselves, or as the case may be, the inputs or input services used in such supplies, the due date for furnishing of return under section 39 in respect of such supplies;”.

16. Amendment of notification issued under section 146 of Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act read with section 20 of Integrated Goods and Services Tax Act, retrospectively.—(1) The notification of the Government of Himachal Pradesh number EXN-F(10)-5/2018, dated 30th January, 2018 published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 30th January, 2018, issued on the recommendations of the Council, under section 146 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, shall stand amended and shall be deemed to have been amended retrospectively, in the manner specified in column (2) of the IV Schedule, on and from the date specified in column (3) of that Schedule.

(2) For the purposes of sub-section (1), the State Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the State Government had the power to amend the said notification under section 146 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, retrospectively, at all material times.

17. Amendment of notification issued under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, retrospectively.—(1) The notification of the Government of Himachal Pradesh number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017 published in the the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on the same day, on the recommendations of the Council, under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Himachal Pradesh Goods

and Services Tax Act, 2017, shall stand amended and shall be deemed to have been amended retrospectively, in the manner specified in column (2) of the V Schedule, on and from the date specified in column (3) of that Schedule.

(2) For the purposes of sub-section (1), the State Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the State Government had the power to amend the said notification under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, retrospectively, at all material times.

18. Retrospective exemption from, or levy or collection of State tax in certain cases.—(1) Notwithstanding anything contained in the notification of the Government of Himachal Pradesh number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh on the same day, issued by the State Government on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 9 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, no State tax shall be levied or collected in respect of supply of unintended waste generated during the production of fish meal (falling under heading 2301), except for fish oil, during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 30th day of September, 2019 (both days inclusive).

(2) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

19. Retrospective effect to notification issued under sub-section (2) of section 7 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act.—(1) Subject to the provisions of sub-section (2), the notification of the Government of Himachal Pradesh number EXN-F(10)-20/2019, dated the 3rd October, 2019, published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh on the same day, issued by the State Government on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (2) of section 7 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, shall be deemed to have, and always to have, for all purposes, come into force on and from the 1st day of July, 2017.

(2) No refund shall be made of all such State tax which has been collected, but which would not have been so collected, had the notification referred to in sub-section (1) been in force at all material times.

Schedule-IV

[See section 16 (1)]

Notification number and date	Amendment	Date of effect of amendment
1	2	3
EXN-F(10)-5/2018, dated 30th January, 2018 [page No. 10236 of the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh	In the said notification, in paragraph 1, for the words “furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax”, the following shall be substituted, namely:— “furnishing of returns and computation and settlement of intergrated tax and save as provided in the notification number EXN-	22nd June, 2017

	F(10)-25/2019, dated 2nd January, 2020, all functions provided under the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017.”.	
--	---	--

Schedule V
[See section 17 (1)]

Notification number and date	Amendment	Date of effect of amendment
1	2	3
EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated 30th January, 2018 [page No. 3244 to 3245 of the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh	In the said notification, in Table, against serial number 2, in column (3), for the figures “24”, the figures “18” shall be substituted.	1st July, 2017

(RAJENDRA VISHAWANATH ARLEKAR)
Governor, Himachal Pradesh

(RAJEEV BHARDWAJ)
Principal Secretary (Law).

SHIMLA:
THE _____, 2022.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 अक्टूबर, 2022

संख्या: एल.एल.आर.-डी0(6)-21 / 2022-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2022 को दिनांक 12-10-2022 को प्रख्यापित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, अध्यादेश के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त अध्यादेश को वर्ष 2022 के अध्यादेश संख्यांक 4 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज,
प्रधान सचिव (विधि)।

2022 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4

हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2022

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्यांक 25) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश।